

FORM-1

(For linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR-(57)/2019- 424

dated: 30-06-2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **02-46-20 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, Rampur Division B &R, HPPWD, Rampur for construction of road from Ghat Poucha Pai (proposed for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Mauja Ghat and Byunthal, Tehsil Rampur, District Shimla.

It is further certified that:-



- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **02-46-20 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure-A to annexure-B.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl. As above.

(Aditya Negi)
District Collector,
Shimla District (H.P.)
SHIMLA

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on **21-06-2021 at 11:30 AM** in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Ghat and Byunthal claiming rights in village forest area(s) **02-46-20 Hectares** under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Rampur were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
		----	Nil----

Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
		----	Nil----

As informed by SDO(Civil), Rampur no application was received from Gram Sabha Ghat and Byunthal claiming right in **02-46-20 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date:

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla.**

उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 18-02-2021 की कार्यवाही रिपोर्ट

DC
ADM (L)
SR (FRA)

आज दिनांक 18-02-2021 को श्री सुरेंद्र मोहन (हि0प्र0से0) उप-मंडलाधिकारी (ना0) रामपुर की अध्यक्षता में Schedule Tribes & others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act FRA 2006 के अंतर्गत उप-मंडल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।

2

2/3/21

1. श्री देवा चन्द्र नेगी नायब तहसीलदार रामपुर।
2. श्री आर० एस० नेगी अधिशाषी अभियंता जल शक्ति विभाग रामपुर।
3. श्री बी० एल० चौहान सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग।
4. श्री शोभा सिंह सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग।
5. श्री राजेंद्र लकटू कम्पनी कमांडर होमगार्ड सराहन।
6. श्री कुन्दन लाल नेगी वन खण्ड अधिकारी सराहन।
7. श्री विपन कुमार वन खण्ड अधिकारी नोगली ।
8. श्री दिवान सिंह लिपिक लोक निर्माण विभाग रामपुर ।
9. श्री हेम राज वरिष्ठ सहायक वन विभाग रामपुर।
10. श्रीमति बिशना भंडारी गाँव व डा. झाकड़ी तहसील रामपुर। (गैर सरकारी सदस्या)

414985

2/3/21

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित हुए सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में उपस्थित होने पर स्वागत किया, तदोपरान्त बैठक में निम्न मदों पर चर्चा की गई।

मद संख्या :-1 प्रस्तावित मुन्दर कुंगल मकरोग खोड़ी गडासु सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकबा तादादी रकबा 03-21-93 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनद्वारा नक्शा वर्तन मौजा मुन्दर (0-46-45 है०), मौजा कुंगल 1-63-67 है०), मौजा खोड़ी (0-32-92 है०), (मौजा खमनाना 0-16-72 है०), (मौजा धरागला 0-59-07 है०), (मौजा गडासु 0-03-10 है०) दर्ज मालकागजात है। प्रस्तावित भूमि के लिए वन अधिकार समिति मुन्दर, कुंगल, खोड़ी, खमनाना, धरागला व गडासु ने प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 26-07-2018, प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 22-07-2018, प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 12-07-2018, प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 24-07-2018, प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 28-09-2018, प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 26-08-2018 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार समिति मुन्दर, कुंगल, खोड़ी, खमनाना, धरागला व गडासु ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपत्ति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या :-2 प्रस्तावित बाहली से देवनगर सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 3-67-73 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन (मौजा बाहली 3-03-47 है० व दवाडा 0-64-26 है०) दर्ज मालकागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति बाहली व देवनगर ने सहमति प्रकट करते हुए अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या :-3 प्रस्तावित सरपारा से लबाना-सदाना सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 02-86-09 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन (मौजा जुलीकोट रकवा 0-61-73 + मौजा कान्धार रकवा 2-24-36 है०) कुल रकवा 02-86-09 हेक्टर दर्ज मालकागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति जुलीकोट व कान्धार ने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 29-01-2019 व प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 22-09-2019 के माध्यम से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या :-4 प्रस्तावित बाजवा से छावारा बाई सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 02-60-35 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन दर्ज मालकागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति बाजवा ने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 15-07-2019 के माध्यम से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या :-5 प्रस्तावित घाट पौचा पेई सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 02-46-20 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन (मौजा घाट रकवा 0-53-53 + मौजा व्युन्थल रकवा 1-92-67 है०) कुल रकवा 02-46-20 हेक्टर दर्ज मालकागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति घाट व व्युन्थल ने प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 30-09-2020 व प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 01-10-2020 के माध्यम से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या :-6

प्रस्तावित जलान कैंची से बिला डोखरी सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 0-70-03 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन मौजा निरथ 0-61-82 है० +मौजा चुन्जा 0-08-21 है० दर्ज माल कागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति निरथ व चुन्जा ने प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 30-09-2020 व प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 01-07-2018 के माध्यम से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या :-7

प्रस्तावित गृह रक्षा विभाग 2/5 कंपनी कार्यालय भवन निर्माण सराहन के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 00-02-94 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन (मौजा सराहन दर्ज मालकागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति सराहन ने प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 16-09-2020 के माध्यम से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद किया गया।

उप-मंडलाधिकारी (ना०),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि०प्र०,

पृष्ठांकन संख्या :- आर०एम०पी०/एस०डी०के०/2020- 1221 दिनांक 25/2/21.

प्रतिलिपि :-

1. उपायुक्त महोदय शिमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. सम्बंधित अधिकारी /कर्मचारी तथा गैर सरकारी सदस्यों को प्रेषित ।

उप-मंडलाधिकारी (ना०),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि०प्र०

Sub-Divisional Magistrate
Rampur Bushahr (H.P.)

(1)


OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), RAMPUR,
DISTT. SHIMLA, HIMACHAL PRADESH

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the Sub-Divisional Level Committee of Rampur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Sh. Surender Mohan, HPAS, Sub-Divisional Officer (C), Rampur, Distt. Shimla, H.P. on 18-02-2021 at 11:30 AM at Rampur, in which the application of the applicant of HPPWD for diversion of forest land area measuring mouja Ghat 00-53-53, mouja Byunthai 01-92-67 hect. Total area measuring 02-46-20 hect. at Ghat Byunthai of land in Forest Division Rampur for construction of road from GhatPoucha Pai Tehsil Rampur District Shimla under FRA 2006 duly processed and recommended by the Forest Right Committee Ghat and Byunthai was discussed and consider the same and forwarded with recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detail discussion the application of the applicant were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Place :- Rampur
Dated :- 18-02-2021


SDO © Cum-Chariman,
Sub-Divisional Level Committe

Attested
pre
Sub-Divisional Magistrate
Rampur Bushahr (H.P.)
11/2/21

PROCEEDINGS OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHTS COMMITTEE HELD ON 21-06-2021 at 11:30 AM UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI ADITYA NEGI, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

Meeting of the District Level Forest Rights Committee was convened on 21-06-2021 at 11:30 AM under the Chairmanship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla in his office chamber. The followings were present:-

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Sh. Vinay Dhiman | Addl. District Magistrate (P). |
| 2. Sh. Pawan Kumar Chauhan | Divisional Forest Officer, Shimla (Urban). |
| 3. Sh. Arvind Kumar | Divisional Forest Officer, Rampur. |
| 4. Sh. Raj Kumar Sharma | Divisional Forest Officer, Shimla, Kotgarh. |
| 5. Sh. Vishal Shankta | Nominated Member |
| 6. Sh. Ujjwal Sain Mehta | Nominated Member |
| 7. Smt. Prabha Verma | Nominated Member |

At the outset, the Deputy Commissioner, Shimla welcomed all the members of the committee. The ADM (P) apprised that following 26 cases approved by the Sub-Divisional Level Forest Rights Committees to issue FRA certificate for processing the cases under the Forest Conservation Act, 1980 have been received from the respective Sub-Divisional Officers (C).

Sr. No	Name of Sub Division	FRA proposal
1.	SDM Shimla (Urban)	Proposed prefabricated Shop for Vendors near M.C. toilet Khalini in ward No. 33, tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
2.	---do---	Construction of Car Parking near Om Service Kanlog in ward No. 34, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
3.	---do---	Construction of Escalators at Jakhoo Temple, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
4.	---do---	Construction of ambulance road from Bye Pass to Mangru Cottage Tutikandi, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
5.	---do---	Construction of Car Parking near govt. Primary School, Chakkar in ward No. 9, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
6.	---do---	Construction of Car Parking Mahindra Motors Kachighati, Shimla in ward No.9, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
7.	---do---	Channelization of Nallah and its landscaping from Indira Gandhi Sports Complex bridge to Lalpani bridge with construction and O & M of STP for waste water treatment, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
8.	---do---	Construction of Car Parking near Kanlog by Pass road in ward No. 34, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
9.	---do---	Construction of car parking opposite HPSEB Sub-Station Kalibari ward No. 2, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.

at the end copy
Additional District Magistrate
Shimla Distt. Shimla

10.	---do--	Construction of car parking opposite Roop Hardware Lakkar Bazar in ward No. 2, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
11.	---do--	Construction of ambulance and Fire Brigade road for the building in Daizy Bank Estate Lower Jakhu in ward No. 16, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
12.	---do--	Construction of ambulance road from Hanuman Mandir road to Sharma Niwas in ward No. 33 Khalini, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
13.	---do--	Construction of proposed multi storied parking complex between Tennis Court and HRDC building in HPU Shimla, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
14.	---do--	Construction of Food Corporation of India, Regional Office Building at Tutikandi Shimla, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
15.	SDM Rampur	Construction of road from Ghat Poucha Pai, Tehsil Rampur, District Shimla.
16.	--do----	Construction of road from Jalan Kainchi to Buladokhari, Tehsil Rampur, District Shimla.
17.	---do---	Construction of road from Bajawa to Chhawara Bai, Tehsil Rampur, District Shimla.
18.	---do---	Construction of road from Bahali to Devnagar, Tehsil Rampur, District Shimla.
19.	---do---	Construction of road from Mundar, Kungal, Makarog Khori, Garasu, Tehsil Nankhari, District Shimla.
20.	---do---	Construction of road from Sarpara to Labana-Sadana, Tehsil Rampur, District Shimla.
21.	---do---	Construction of office of Home Guard Company Sarahan, Tehsil Rampur, District Shimla.
22.	---do---	Construction of Jahoo Deem to Charaila road, Tehsil Nankhari, District Shimla.
23.	---do---	Construction of Dhala Bhamti (Thandwa) to Phawat Kanchi road, Tehsil Nankhari, District Shimla.
24.	---do---	Construction of Dhala to Mankhidhank road, Tehsil Nankhari, District Shimla.
25.	---do---	Construction of Gadasu Lohti Nali Punan road, Tehsil Nankhari, District Shimla.
26.	SDM Kumarsain	Construction of Kupri Serthi Nehri Khad road, Tehsil Kumarsain, District Shimla.

All the cases were perused and considered by the committee and after discussion, the same were approved to issue FRA Certificate for processing cases by the user departments under Forest Conservation Act, 1980.

The meeting ended with vote of thanks to and from the chair.

attested copy

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla, District Shimla, H.P.

Annexure 4

अनुसूचित जात जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा धाट

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 30/09/2020

वन अधिकार समिति ग्राम सभा धाट की बैठक आज दिनांक 30/09/2020 को 11.00 बजे स्थान धाट में श्री/श्रीमति जयदीप कौर के अध्यक्षता में की गई जिसमें धाट गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें 0.80 हेक्टर विभाग द्वारा 15.5*8.0 हेक्टर के लिए निष्काशित है) वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत उपरोक्तों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को दावा निरस्त/सही पाया गया -

क्र.सं. पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का प्रकार

अनुसार वह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र.सं. I पात्र ग्राम वासी का नाम धाट

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है। या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान धाट अधिष्ठाता जयदीप कौर वन अधिकार समिति भू-राजस्व भाग धाट डाकघर 497216 तहसील चन्द्रगढ़ जिला शिमला (हि0प्र0)

ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रो.जस/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या F

दिनांक 30/9/2020

ग्राम सभा धाट की बैठक आज दिनांक 30/9/20 को 30/9/20
के स्थान धाट में श्री/श्रीमति जगदीश च-फ की अध्यक्षता में
हो गई जिसमें श्री 0 कि 0 खिन्सा गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन
क्षेत्र में जिसमें श्री 0 कि 0 विभाग द्वारा धाट से जंगल के लिए 0.53-53 हेक्टेयर वन
भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत प्रस्तावों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
---------	---------------------------	-------------	---------------------

यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को पेश करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम
---------	---------------------------

यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान धाट प्रधान जगदीश
वन अधिकार समिति - राजस्थान
दिनांक 30/9/20 गांव धाट डाकघर धाट
नरसिंह नरसिंहरी जिला शिमला (हि.प्र.)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

** पोस्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

गाँव/सभा धाट
विकास खण्ड ननवरी जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 30/9/2020

पत्राचार 9/12

परस्ताव संख्या

विषय लौ सि० निवासी विभाग/संस्था को धाट से पौआ रई, पई

के निर्माण हेतु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.53-53 हैक्टयर वन भूमि को उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

गाँव/सभा धाट की बैठक आज 11.00 बजे धाट स्थान धाट विभाग/संस्था को जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.53-53 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी उपस्थितियों ने सर्वधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूर्ण तरह समझने पर वन क्षेत्र से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त परस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बंधित कार्य को अंतिम रूप देना सही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित धाट-पौआ-रई-पई हैक्टयर वन भूमि को निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा धाट-पौआ-रई-पई हैक्टयर वन भूमि को सहमत है।

स्थान धाट राजस्थान
दिनांक वन अधिकार समिति भू-राजस्थान
गाँव-धाट डाकघर-...
नहसील ननवरी जिला शिमला (हि०प्र०)

अध्यक्ष Jagdish
वन अधिकार समिति भू-राजस्थान
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
गाँव-धाट डाकघर-...
नहसील ननवरी जिला शिमला (हि०प्र०)

ननवरी जिला शिमला (हि०प्र०)

वन अधिकार समिति

भू-राजस्व गांवधार....., ग्राम पंचायत कलेडा-मसेवटी, डा0 देवनगर,
विकास खण्ड ननखडी जिला शिमला, हि0प्र0-172022

क्रमांक संख्या.....

दिनांक 30/9/2020

प्रस्ताव संख्या I.....

उपस्थिति 9/12.....

अध्यक्षता श्री/श्रीमती जगदीश चव्हा..... प्रधान वन अधिकार समिति धार.....

आज दिनांक 30-9-2020 को वन अधिकार समिति भू-राजस्व गाँव धार, ग्राम पंचायत कलेडा-मसेवटी की बैठक वन अधिकार समिति के उपअध्यक्ष श्री जगदीश चव्हा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। वन अधिकार समिति की इस बैठक में धार से पौचा रूई, पेई की सड़क निर्माण पर विशेष चर्चा हुई। जिस पर वन अधिकार समिति में सर्वसम्मति से धार से पौचा रूई पेई सड़क निर्माण को अप्त टकी छति प्रदान की गई।

चव्हा सहित

वन अधिकार समिति के सदस्यगण

वन अधिकार समिति भू-राजस्व गांव धार डाकघर देवनगर

उपअध्यक्ष Jagdish
वन अधिकार समिति भू-राजस्व गांव धार डाकघर देवनगर तहसील ननखरी जिला शिमला (हि0प्र0)

2121111111
Chavha

Neak Ram

कृष्णा देवी

मानता देवी

Mithu Ram

काफर राम

Gopal

दीपना देवी

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा कपूरमठ
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या I

दिनांक 01-10-2020

वन अधिकार समिति ग्राम सभा कपूरमठ की बैठक आज दिनांक 01-10-2020
को कपूरमठ वन क्षेत्र स्थान कपूरमठ में श्री/श्रीमति शीलम - 429
को अध्यक्षता में की गई जिसमें कपूरमठ गांव के अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कपूरमठ
जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें लो 00 विभाग द्वारा कड़ के चिमनी के लिए के
निर्माण के लिए 1-92-67 मटेयर वन भूमि को उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
इस गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित जात्रा
का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र.सं. * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का प्रकार
1. कपूरमठ (II) 45

नियमानुसार वह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा को इसकी
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित जात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र.सं. * पात्र गांव वासी का नाम
1. कपूरमठ प्रधा, 45
2. राइ पांथ
नियमानुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान रवि कपूरमठ
दिनांक वन अधिकार समिति भू-राजस्व
गाव कपूरमठ डाकघर 09-10/20
नरवरवा जिला जामला (हिणप)
प्रधान अधिकारी/हस्ताक्षरकर्ता
वन अधिकार समिति भू-राजस्व
गाव कपूरमठ डाकघर 09-10/20
सहस्रीक वनवासी जिला जामला (हिणप)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** प्रोत्साहन/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि को
उपयोग की अनुमति दी जाती है

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या I.....

दिनांक 1-10-2020

ग्राम सभा कल्याण की बैठक आज दिनांक 1-10-2020 को अनुसूचित
वर्ग के स्थान में श्री/श्रीमति श्रीतम-पुन की अध्यक्षता में
की गई जिसमें लो.प्रि. खिन्ना गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें विभाग द्वारा चाट, पी.पी, रई-पई के निर्माण के लिए 1-92-67 वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का क्षेत्र
1	<u>I</u>	<u>चाट, पी.पी, रई-पई</u>	

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1	<u>चाट, पी.पी, रई, पई</u>
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ
स्थान वि.अधिकार समिति धु-राजपुर
दिनांक गांव अनुसूचित जनजाति दिनांक 1-10-2020
प्रधान अनुसूचित
वन अधिकार समिति धु-राजपुर
अधीकृत इस्तेमालकर्ता राजपुर
गांव अनुसूचित अधिकार राजपुर
ग्राम सभा अनुसूचित दिनांक 1-10-2020

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इसी वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

वन अधिकार समिति

भू-राजस्व गांव ब्यूनथल, ग्राम पंचायत कलेडा-मझेवटी, डा0 देवनगर,
विकास खण्ड ननखडी जिला शिमला, हि0प्र0-172022

कमांक संख्या.....५.....

दिनांक 01-10-2020

प्रस्ताव संख्या 1

उपस्थिति 11/15

अध्यक्षता श्री/श्रीमती प्रीतम चन्द प्रधान वन अधिकार समिति ब्यूनथल

आज दिनांक 01-10-2021 को वन अधिकार समिति ब्यूनथल गांव ब्यूनथल ग्राम पंचायत कलेडा-मझेवटी की बैठक वन अधिकार समिति के अध्यक्ष श्री प्रीतम चन्द की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई

वन अधिकार समिति की इस बैठक में पार से योजना, रूड़, पैड़ की लकड़ निर्माण पर विशेष चर्चा हुई। जिस पर वन अधिकार समिति ने सर्वसम्मति से लकड़ निर्माण के लिए लकीकृत प्रदान की।

चन्दास सिंह

1. लखि
2. [Signature]
3. [Signature]

8. [Signature]
9. [Signature]
10. [Signature]

[Signature]
वन अधिकार समिति भू-राजस्व
गांव 01-10-2021 डाकघर 172022
ननखडी जिला शिमला हि0प्र0

- 11 कपूर सिंह
- 12 [Signature]
- 13 [Signature]
- 14 [Signature]
- 15 [Signature]
- 16 [Signature]
- 17 [Signature]